

नगर विकास एवं आवास विभाग

58

काओ आओ सं०— 04/RAY-05/15 118

दिनांक 21-3-17

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश सं० 123 सहपठित ज्ञापांक 2211 दिनांक 22.04.2015 द्वारा राजीव आवास योजना के अन्तर्गत 07 परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवास एवं आधारभूत संरचना मद में राशि आवंटित की जा चुकी है। उसी क्रम में नगर निगम गया एवं पूर्णियां को आवास मद में राशि 2103.82 लाख (एक्कीस करोड़ तीन लाख बेरासी हजार रु० मात्र) विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

राशि लाख में

क्र. सं.	निकाय का नाम	परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत	अबतक विमुक्त राशि (आवास + आधारभूत संरचना)	आवास मद में विमुक्त की जानेवाली राशि
1	2	3	4	5	6
1	गया नगर निगम	गया फेज-1	7589.80	4006.244	387.05
2	पूर्णियां नगर निगम	पूर्णियां फेज-1	9393.97	3098.79	1716.77
कुल राशि					2103.82

(एक्कीस करोड़ तीन लाख बेरासी हजार रु० मात्र)

2. अतः उपरोक्त विवरणी के स्तम्भ-6 में अंकित राशि संबंधित नगर निकाय को योजना के कार्यान्वयन हेतु RTGS के माध्यम से संबंधित बैंक खाता में उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. योजना की पूर्णता एवं परियोजना की गुणवत्ता सर्वोपरी है। अतः नगर आयुक्त, नगर निगम गया एवं पूर्णियां, योजना का सघन पर्यवेक्षण करेंगे तथा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।
4. गया फेज-1 के सम्मुख अंकित स्तम्भ-5 में राशि पटना फेज-2 एवं पटना फेज-3 से (5.00 लाख + 5.00 लाख) 1000.00 लाख (दस करोड़) का विचलन कर उपलब्ध कराया गया था। गया फेज-1 के लिए प्राप्त द्वितीय किस्त केन्द्रांश की राशि 1387.05 प्राप्त है, फलस्वरूप विचलन की राशि 1000.00 लाख का समायोजन करने के बाद अवशेष राशि 387.05 लाख गया के पक्ष में विमुक्त किया जायेगा।
5. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अपर सचिव सह निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 04/RAY-05/15 883 / दिनांक 21-3-17

प्रतिलिपि— उप निदेशक (बुडा) / लेखापाल (बुडा), नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक 04/RAY-05/15 883 / दिनांक 21-3-17

प्रतिलिपि— नगर आयुक्त नगर निगम, गया एवं पूर्णियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव सह निदेशक

Government of Bihar
Urban Development and Housing Department

1st Floor, Vikas Bhawan, New Secretariat, Patna-800015

(Tel: 0612-2210000; Email-udhd.bih@gmail.com)

Date: 06/4/2017

04/Account-19/2015

911

/Ud & Hd

The Branch Manager

Bank of Baroda,

Kankarbagh, Patna.


Please remit the amount through RTGS, as per the following details, by debiting BUDA account for the amount of remittance.

Remitter's Details : Principal Secretary /Additional Secretary-cum-Director, UD&HD
Account Title : Bihar Urban Development Agency (BUDA)
Debit Account No. : SB A/C No.- 27630100010128 (RAY)
Sanction Order No. : 199/25.01.17
Approval Date : 29.03.2017
File No : 4/RAY-05/2015


Beneficiary Details:


SL.No	Beneficiary Name	Account No.	Bank	Branch	IFSC Code	Remittance Amount (Rs.)
1	Municipal Commissioner, Gaya (RAY-Housing)	60208246590	Bank of Maharashtra	Gaya	MAHB0001800	38,705,000.00
2	Municipal Commissioner, Purnea (RAY-Housing)	4959101002013	Canara Bank	PURNEA	CNRB0004959	171,677,000.00
Total=						210,382,000.00

(Twenty One Crore Three Lakh Eighty Two Thousand Only)


Additional Secretary-cum-Director,
Urban Development & Housing Dept. (BUDA)
GoB. Patna

Copy:- Copy to All Concerned Municipal commissioner,EO's. & IT Manager


Principal Secretary
Urban Development & Housing Dept.
GoB. Patna


Principal Secretary
Urban Development & Housing Dept.
GoB. Patna